

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी
कैलाश मीणा पुत्र दानारामजी जाति मीणा
निवासी सेवाडी तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

* किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण GCMS No. 2025/656
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 47 नियम 1 व्यहार प्रक्रिया संहिता

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15-10-25	<p>वकील प्रार्थी श्री अयूब अली उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 47 नियम 1 व्यहार, प्रक्रिया संहिता पेश कर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/460 बअनवान कैलाश मीणा बनाम तहसीलदार बाली दिनांक 01.10.2025 को खारिज प्रकरण को पुनर्विलोकन करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी को सुनने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 47 नियम 1 व्यहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/460 बअनवान कैलाश मीणा बनाम तहसीलदार बाली में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2025 को अपास्त कर प्रकरण को पुनर्विलोकन कर पुनः नये नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर पूर्व निर्णीत पत्रावली के संलग्न हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली